//प्रेस–विज्ञप्ति//

भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध करने तथा पात्र युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिये विशेष अभियान कार्यक्रम **दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 के मध्य आयोजित किया जा रहा है ।** विशेष अभियान कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली गतिविधियां का विवरण निम्नानुसार है :–

1. बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 के मध्य की अवधि में अपने मतदान क्षेत्रों में घर–घर सर्वे कर आवेदकों से फार्म–6 जमा लिया जावेगा । विशेष रूप से 18–19 वर्ष के आयु समूह (21 वर्ष की आयु तक) के छूट गये पात्र मतदाताओं (अपंजीकृत) को प्राथमिकता देते हुये फार्म–6 प्राप्त करेगें । इसके लिये पर्याप्त मात्रा में फार्म–6 बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध रहेगें, जिससे वह सर्वे के दौरान अपंजीकृत आवेदकों से फार्म भरवाकर प्राप्त कर सके ।
2. आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 09 जुलाई (रविवार) एवं 23 जुलाई, 2017 (रविवार) को सभी मतदान केन्द्र स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन होगा। बूथ लेवल अधिकारियों के पास विशेष शिविर के दिवस अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में प्रकाशित मूल मतदाता सूची, अनुपूरक सूची सहित, सभी मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिसका बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा वाचन भी किया जावेगा। दिनांक 08 जुलाई (शनिवार) एवं 22 जुलाई, 2017 (शनिवार) को शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, आई.टी.आई, बीएड कॉलेज, नर्सिंग संस्थानों एवं पॉलीटेकनिक कॉलेजो) आदि में शिविर का आयोजन किया जाना है ।
3. विशेष अभियान कार्यक्रम में मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाया जावेगा । इस प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या मृतक के संबंधियों/पड़ोसी द्वारा भरे गये फार्म–7 के आधार पर बूथ लेवल अधिकारियों की रिपोर्ट तथा इसी क्षेत्र के रहने वाले दो गवाहों के प्रमाण के आधार पर प्रक्रिया का पालन करते हुये अशुद्ध नामों को मतदाता सूची से विलोपित किया जावेगा ।

साथ ही उल्लेखनीय है कि मतदाता अपना नाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के वेबसाईट www.ceochhattisgarh.nic.in में खोज सकते है । किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर में स्थापित **राज्य संपर्क केन्द्र टोल फ्री नंबर–1950** पर कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।